संख्या-1/2017/316/सत्तर-6-2017-4ए(1)/2004 टीसी।।

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2017

विषय: सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री बजट/35/2017-18, दिनांक 7-4-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राविधानित धनराशि ₹18,75,66,04,000/- (रूपये अट्ठारह अरब पचहत्तर करोड़, छाछठ लाख चार हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम पांच माह (अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं अगस्त 2017 तक) हेतु ₹7,81,52,52,000/- (रूपये सात अरब, इक्यासी करोड़ बावन लाख बावन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निस्तारण/निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण प्रतिमाह की आवश्यकतानुसार समानुपातिक रूप से किश्तों में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(3) यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि उक्त आवंटित की गयी धनराशि से उन्हीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान देय होगा जिन्हें अनुदान सूची पर लिया जा चुका है और जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त अनुदान राशि के उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक को उपलब्ध करा दिये हैं।

(4) अनुदान की धनराशि महाविद्यालय की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करके ही आहरित की जायेगी और कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान के पूर्व प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पदधारक विधिवत चयनित एवं नियुक्त हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमोदित हो। उपर्युल्लिखित मानकों की पूर्ति न किये जाने पर महाविद्यालय को उस सीमा तक अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का सम्परीक्षित उपभोग प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक निदेशक को उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं सुसंगत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत आय-व्ययक के लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता-03-गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता(पुरूष-महिलायें) के मानक मद- 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद' के नामें डाला जाएगा।

(7) ये आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मधु जोशी
विशेष सचिव।

संख्या-1/2017/316(1)/सत्तर-6-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20-सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद-211001

2- मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- उच्च शिक्षा अनुभाग-4

6- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ. ध्रुव पाल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in